

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

रतनलाल बनाम माराधनी देवी ~~वैदी~~

मुकदमा नम्बर :- 84/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/125		व.वाडी उप.। आजादी पैसी पर आवश्मक रूप से बंधन करे अन्यथा पत्रावली का गुणवत्ता के आधार पर निस्तर्क कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 10/2/25 को पेश है।	
10/2/25		व.वाडी उप.। वकील वाडी ने पुनर्विचार हेतु अतिरिक्त के अनुसार वाड के अतिरिक्त सिद्धि सिद्धि-पत्रे-जाबत-निवेदन किया। बंधन हेतु अतिरिक्त सुनी गयी। पत्रावली व अतिरिक्त का अवलोकन किया गया। वाडी का वाड अतिरिक्त सिद्धि सिद्धि-पत्रे-जाबत सिद्धि-पत्रे है। निवेदन निबंध पृष्ठ-वे लिखवाया जाकर शा.क्रि. किया गया। पत्रावली फिलहाल सुकर-वेकर उक्त गुणवत्ता के कर है तथा डाखिल उपर है।	सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर) वाडी Ratan Lal (2023/25) 1 व. माराधनी देवी

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रतनलाल पुत्र भंवरलाल, उम्र 42 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. नारायणी देवी पत्नी भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. धड़की देवी पत्नी रामकुंवार, जाति जाट, निवासी ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल
4. मुन्ना देवी पुत्री प्रभूदयाल
5. माली देवी पुत्री प्रभूदयाल
6. राजू देवी पुत्री प्रभूदयाल
7. राजेश पुत्र प्रभूदयाल
8. लालचन्द पुत्र प्रभूदयाल
9. सोजीराम पुत्र प्रभूदयाल
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दीपुरा टोडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. रामकरण पुत्र भंवरलाल
11. रामनारायण पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. कमला देवी पुत्री भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी सांभर, तहसील सांभर, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
16. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूं (3)

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-84/2023

ये मुकदमा आज वारते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 41 के खसरा नं0 810 रकबा 3.66 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.66 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. रतनलाल पुत्र भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 810/1 रकबा 0.40 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. धड़की देवी पत्नी रामकुंवार हिस्सा 88/163 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 58/163 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, बाबूलाल, राजेश, लालचन्द, सोजीराम, मुन्ना देवी, माली देवी, राजू देवी पिता प्रभूदयाल हि0ब0हि0 75/163 जाति गुर्जर ग्राम दीपुरा टोडी दीपुरा, तहसील आमेर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 810/2 रकबा 3.26 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमवलिक वाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

वसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.02.2025 को जारी किया गया।


मोहर

दस्तखत.....
ओहदा.....
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0-84/2023
उनवान-रतनलाल बनाम नारायणी देवी वगै0
निर्णय दिनांक-10.02.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	6	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	0
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	8	जोड़	0


सहायक जलक्टर
चौमू (जयपुर)

मु0सं0-84/2023
उनवान-रतनलाल बनाम नारायणी देवी वगै0
निर्णय दिनांक:-10.02.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-84/2023

उनवान


रतनलाल पुत्र भंवरलाल, उम्र 42 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. नारायणी देवी पत्नी भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. धड़की देवी पत्नी रामकुंवार, जाति जाट, निवासी ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र प्रभूदयाल
4. मुन्ना देवी पुत्री प्रभूदयाल
5. माली देवी पुत्री प्रभूदयाल
6. राजू देवी पुत्री प्रभूदयाल
7. राजेश पुत्र प्रभूदयाल
8. लालचन्द पुत्र प्रभूदयाल
9. सोजीराम पुत्र प्रभूदयाल
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दीपुरा टोडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. रामकरण पुत्र भंवरलाल
11. रामनारायण पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. कमला देवी पुत्री भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी सांभर, तहसील सांभर, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
15. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
16. यूको बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा ढोढ़सर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-10.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांकित 25.11.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 25.11.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कीरतसिंह का बास, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता सं0 41 के खसरा नं0 810 रकबा 3.66 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.66 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. रतनलाल पुत्र भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम ठिकरियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 810/1 रकबा 0.40 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. धड़की देवी पत्नी रामकुंवार हिस्सा 88/163 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 58/163 (पूर्ण खाता) यूको बैंक शाखा ढोढ़सर, बाबूलाल, राजेश, लालचन्द, सोजीराम, मुन्ना देवी, माली देवी, राजू देवी पिता प्रभूदयाल हि0ब0हि0 75/163 जाति गुर्जर ग्राम दीपुरा टोडी दीपुरा, तहसील आमेर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 810/2 रकबा 3.26 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर भूमि जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूं
जिला जयपुर